भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1099

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

कृष्णा नदी के जल का बंटवारा

1099. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के आश्वासन के अनुसार तेलंगाना सरकार द्वारा जून, 2021 में उच्चतम न्यायालय में अपना मामला वापस ले लिए जाने के बाद मामले को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन के लिए भेजा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और हाल ही में हुई उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (घ): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 की धारा 89 के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (केडब्ल्यूडीटी -II) को भेजा गया है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने केडब्ल्यूडीटी-II की अवधि को 01.08.2014 से दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एपीआरए, 2014 की धारा 89 में निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों पर केडब्ल्यूडीटी-II द्वारा अधिनिर्णय का कार्य अभी भी चल रहा था, ट्रिब्यूनल का कार्यकाल सात बार बढ़ाया गया था, हर बार एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए। हाल ही में, दिनांक 06.07.2023 की अधिसूचना के माध्यम से, ट्रिब्यूनल का कार्यकाल दिनांक 31.03.2024 तक एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एपीआरए, 2014 की धारा 85(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा कृष्णा नदी संबंधी परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए दिनांक 28.05.2014 की राजपत्रित अधिसूचनाओं के तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) का गठन किया गया था। इस

बोर्ड के कार्य में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरवर्ती राज्यों को उपर्युक्त परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति का विनियमन शामिल है, जिसमें (i) अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए अवार्ड, ii) मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को कवर करने के लिए किए गए किसी भी समझौते या व्यवस्था को ध्यान में रखना शामिल है। आंध्र प्रदेश राज्य के बटवारे के बाद, कृष्णा जल (केडब्ल्यूडीटी-I अवार्ड के अनुसार, आंध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य को आवंटित 811 टीएमसी पानी), केआरएमबी बैठकों में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) द्वारा पानी सहमत मात्रा के अनुसार बांटा गया है। बोर्ड की विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक जल के बंटवारे का विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख) और (ग): तेलंगाना सरकार से आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की क्षेत्राधिकार सीमाओं के बीच विचारार्थ कार्य क्षेत्र को केडब्ल्यूडीटी-II तक सीमित करके इन दोनों राज्यों के बीच जल के एन-ब्लाक आबंटन के लिए न्यायनिर्णयन हेतु अंतर-राज्यीय कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद केवल केडब्ल्यूडीटी-II को भेजा जाए। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 06.10.2023 की अधिसूचना के माध्यम से आगे के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अधिनिर्णयण के लिए केडब्ल्यूडीटी-II को भेज दिया गया है।

******

अनुलग्नक-क

"कृष्णा नदी के जल का बंटवारा" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1099 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक पानी के बंटवारे का विवरण</u>

जल वर्ष	सहमत हिस्सेदारी (टीएमसी / % में)		जल संसाधन मंत्रालय/केआरएमबी की निम्नलिखित बैठकों के अनुसार
	आंध्र प्रदेश	तेलंगाना	
2015-16	512.04	298.96	दिनांक 18 और 19 जून, 2015 को जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में आयोजित बैठक
2016-17	512.04	298.96	दिनांक 21 और 22 जून, 2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में आयोजित बैठक।
2017-18	66%	34%	बोर्ड की 7 वीं बैठक दिनांक 04.11.2017 को आयोजित की गई।
2018-19	66%	34%	बोर्ड की 9वीं बैठक दिनांक 16.10.2018 को आयोजित की गई।
2019-20	66%	34%	बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 09.01.2020 को आयोजित की गई।
2020-21	66%	34%	बोर्ड की 12वीं बैठक दिनांक 04.06.2020 को आयोजित की गई।
2021-22	66%	34%	बोर्ड की 14वीं बैठक दिनांक 01.09.2021 को आयोजित की गई।
2022-23	66%	34%	बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 06.05.2022 को आयोजित की गई।
2023-24	45	35	पानी के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं थी, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर दोनों राज्यों की पानी की आवश्यकताओं के अनुसार 3 सदस्यीय समिति द्वारा वर्किंग अरेंजमेंट किया जा सकता है। दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 को आयोजित 3 सदस्यीय समिति की बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि श्रीशैलम और नागार्जुन सागर के सामान्य जलाशयों में उपलब्ध 80 टीएमसी उपयोग योग्य पानी को 45 टीएमसी और 35 टीएमसी (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) के रूप में विभाजित किया जाए।

*****